

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

=====

समाचार भाग -2

§ विधायो तथा अन्य मामलो से संबंधित सामान्य जानकारी §
शुक्रवार, 05 जनवरी, 2001 / पौष 15, 1922 § संक०

संख्या : 122

सदस्यों को नजरबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को थाना बाड़ा हिन्दूराव,
दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य सर्व श्री राजेश जैन, कंवर करण सिंह व मुकेश शर्मा को 04.01.2001 को क्रमशः 1115, 1515 व 1615 बजे दिल्ली पुलिस के अधिनियम 1978 को धारा-65 के अंतर्गत पुलिस के विधि सम्मत निर्देशों को अवज्ञा करने के कारण नजरबंद किया गया।

उन्हे वहाँ से उसा दिन अर्थात् 04.01.2001 को 1630 बजे रिहा कर दिया गया।

एस.के.शर्मा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Friday, 05th January, 2001/ Poush 15, 1922(Saka)

No.122

Detention and Release of Members

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from P.S., Bara Hindu Rao, Delhi.

" I have the honour to inform you that S/Shri Rajesh Jain, Kanwar Karan Singh And Mukesh Sharma, MLAs were detained u/s 65 of Delhi Police Act 1978 for disobeying the lawful direction of police at 1115, 1515 and 1615 Hrs. respective-ly on 4.1.2001.

They were released at 1630 hrs 4.1.2001 from the same place on the same day i.e. 4.1.2001."

S.K. SHARMA
SECRETARY